नहरों के प्रभारी अधिकारियों को जानिये

इं. अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल प्रथम, बलरामपुर, दूरभाष - 232160
इं. बालचन्द अधिशासी अभियन्ता, चितौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड, बलरामपुर, दूरभाष - 232124

जलाशय	नहरें	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	उप राजस्व अधिकारी	जिलेदार
चित्तौड़गढ़	पचपेड़वा मुख्य नहर, मा० बिशुनपुर, मा० तिलकहना, मा० भग्गौर, मा० छपिया, मा० माल्दा, मा० डुमरी, मा० लक्ष्मीनगर,	श्री रज्जन लाल मुख्यालय-तुलसीपुर	इं. विजय प्रताप सिंह सहायक अभि० III मुख्यालय-तुलसीपुर	रिक्त	श्री सभा पति उपाध्याय कार्यवाहक जिलेदार III पचपेड़वा
	शाखा रजडेरवा, मा० सोनपुर, रा० विजय नगर, मा० घवाई, मा० मनकौरा,	श्री रज्जन लाल मुख्यालय-तुलसीपुर	- तदैव -		- तदैव -
	मा० रमवापुर, मा० गनवरिया, मा० सिसवा, मा० नौबस्ता, मा० जमुनी, मा० आदम तारा	श्री रज्जन लाल मुख्यालय-बलरामपुर	- तदैव -		- तदैव -
	गैंसड़ी मुख्य नहर किमी० 0 से किमी० 10.0 तक मा० अमवा, मा० डालपुर, मा० महुआ, मा० लठावर,	श्री अबरार खाँ मुख्यालय-तुलसीपुर	इं. विजय प्रताप सिंह सहायक अभियन्ता II बलरामपुर		- तदैव -
	मा० मझौली व मा० बखरकोटवा, गैंसड़ी, मुख्य नहर 10.0 किमी० से 17.8 किमी० तक	- तदैव -	- तदैव -		- तदैव -

सिंचाई विभाग

-: सिंचनेन समृद्धि भवति :-

रोस्टर खरीफ 1420 फसली-वर्ष 2012-2013

राप्ती नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, बलरामपुर

चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड, बलरामपुर

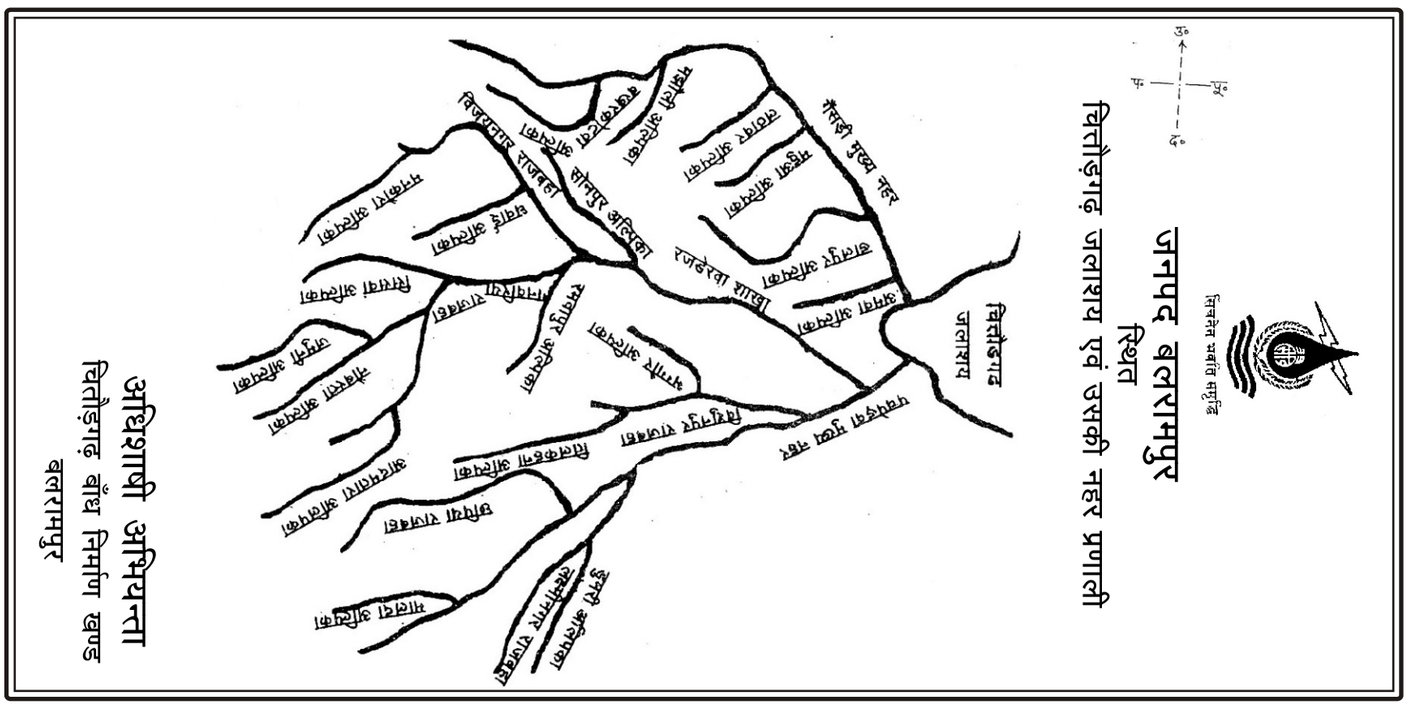

जनपद बलरामपुर
स्थित
जलाशय एवं उसकी नहर प्रणाली

अधिशाषी अभियन्ता
चितौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड
बलरामपुर

कृषकों हेतु सूचनाएँ :-

किसान भाइयों,

(अ) क्या आप जानते है कि :-

(1) फसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने पर कम उपज होती है।

(2) कूलावों की गूल ठीक दशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।

(3) यदि किसी खेत का कुछ भाग सींचा गया हो और बाकी भाग 15 सेमी० ऊँची मेड़ से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सींच कर लगेगा।

(4) शामिल बरहा :- किसी नहर का पानी किसी खेत में गया और उसकी गूल में निजी साधन से पानी लेकर सींच की गयी हो तो नहर सिंचाई का सींचकर लगेगा। यदि पूरी फसल नहर का पानी न लेना हो तो अधिशाशी अभियन्ता सिंचाई विभाग को फसल आरम्भ होने से पूर्व ही लिखित रूप में दे दें। इस अवस्था में शामिल बरहा नहीं होगा। परन्तु इसके बाद नहर से पानी लिया गया हो तो सिंचाई कर का चार गुना दण्ड सिंचाई करके अतिरिक्त लगेगा।

(5) तावान :- यदि किसी खेत की सिंचाई अवैधानिक ढ़ंग से की गयी हो तो सींचकर के अतिरिक्त चार गुना तक कर लगाया जायेगा।

(6) आबजाया :- यदि नहर का पानी बिना बोए खेत में फैलता है तथा गहराई 15 सेमी० से अधिक हो तो डुगना, यदि 30 सेमी० से अधिक हो तो तीन गुना सींचकर जो उस फसल के लिए सबसे अधिक दर का होगा लगेगा।

(7) सिंचाई कर में छूट :- देवी आपदा जैसे ओला/पाला/टिड्डी/माहू आदि से फसल नष्ट हो जाय तो 50% से कम पर कुछ नहीं, 50% से 75% के कम पर आधा 75% से अधिक पर पूर्ण छूट सींचकर पर देय है।

(8) गलत इन्द्राज :- आसिंचित खेत यदि सिंचित लिखित हो तो पर्चा विवरण के 2 दिन के अन्दर, यदि डाल खींच को तोड़ तथा गलत सींच अंकित हो तो 3 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र अधिशाशी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/डी०आर० ओ० जिलेदार में से किसी को देना चाहिए अन्यथा अमान्य होगा। ध्यान रहे कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त कराने के 15 दिन के अन्दर फसल न काटे।

(ब) नहर से सम्बंधित समस्या हेतु निम्न से सम्पर्क करें।

अधीक्षण अभियन्ता :- नये कुलावों की माँग, कमाण्ड विभाजन, दहन एवं स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा मार्गों का निर्माण एवं तावान के विरुद्ध अपील।

अधिशासी अभियन्ता : नहरों का संचालन, नहरी सम्पत्ति की नीलामी एवं भूमि का प्रतिकर एवं खाती से हानि, नालों की सफाई तथा नहर पटरी पर वाहन चलाने की अनुमति, आबजाया एवं तावान।

सहायक अभियन्ता :- कुलावों के स्थान एवं दहन की त्रुटि, पानी की माँग, नहरों की टेलों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों की सफाई।

उपराजस्व अधिकारी :- गलत इन्द्राज, फसल सोख्त, मिसमारी गूल।

अवर अभियन्ता :- टेलों पर पानी की कमी, खाँदी, कटिंग, नहर एवं नालों की सफाई, तथा कुलावों का सही ढंग से लगाना।

क्या करें।

(क) 1. सिंचाई के पूर्व गूलों की सफाई करें।
2. पानी उचित गहराई में ही लगायें।
3. पानी लगाने के बाद कुलावा बन्द कर दे।
4. पानी न मिलने पर अथवा नहरों से कटिंग खाँदी होने पर अवर अभियन्ता, सींचपाल अथवा जिलेदार को सूचित करे।

(ख) नहर न काटे, बंधा न लगाये, कुलावों के स्थान में परिवर्तन न करें, नहर की सड़क पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर अथवा ट्रक बिना पूर्व अनुमति के न ले जाय। दण्डनीय है।

(ग) **समस्याओं के निराकरण हेतु :-**

1. माह के द्वितीय बुधवार को जनपद स्तरीय सिंचाई बंधु बैठक में अधिशाषी अभियन्ता से एवं प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।
2. प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार एवं तृतीय मंगलवार को सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी ''तहसील दिवस'' कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध रहते है अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु उक्त दिवस को उनसे सम्पर्क किया जा सकता है।

अधिशाषी अभियन्ता

खण्ड का नाम – चित्तौड़गढ़ बाँध निर्माण खण्ड, बलरामपुर

नहर प्रणाली – चित्तौड़गढ़ जलाशय का वर्ष 2012-13 फसल खरीफ 1420 फसली का रोस्टर

मण्डल का नाम – राप्ती नहर निर्माण मण्डल-प्रथम बलरामपुर
संगठन का नाम – सरयू परियोजना – द्वितीय, गोण्डा

क्र0 सं0	नहर का नाम	उद्गम स्थल			लाभान्वित जनपद	परिकल्पित शीर्ष निस्सरण (क्यूसेक)	वर्तमान वास्तविक निस्सरण (क्यूसेक)	सी0 सी0 ए0 (है0)	पी0 पी0 ए0 (है0)	सींच गत वर्ष (है0) फसल खरीफ 1419 फसली				लम्बाई कि0मी0		शीर्ष से चलने का दिन	सप्ताह प्रारम्भ दिनांक																										चालन दिवस
		कि0 मी0	किनारा	मातृ नहर						गन्ना	अन्य खरीफ	धान	कुल योग खरीफ	मुख्य नहर	प्रणाली		02.04.12	09.04.12	16.04.12	23.04.12	30.05.12	07.05.12	14.05.12	21.05.12	28.05.12	04.06.12	11.06.12	18.06.12	25.06.12	02.07.12	09.07.12	16.07.12	23.07.12	30.07.12	06.08.12	13.08.12	20.08.12	27.08.12	03.09.12	10.09.12	17.09.12	24.09.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	चित्तौड़गढ़ जलाशय	–	–	-	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
1.	पचपेड़वा मु0न0	1.51	बांया	चि0जला0	बलरामपुर	468	468	3647	839	33	169	864	1066	17.8	–	सोमवार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	468	468	–	–	–	468	468	–	–	–	–	–	–	–	30 दिवस
2.	मा0 डुमरी	2.00	”	र0लक्ष्मीनगर	”	11	11	451	104	–	54	12	66	–	5.60	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–	–	–	11	11	–	–	–	–	–	–	–	”
3.	रा0 लक्ष्मीनगर	8.15	”	पचपेड़वा मु0न0	”	50	50	1481	341	05	32	97	134	–	8.0	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	50	–	–	–	50	50	–	–	–	–	–	–	–	”
4.	रा0 छपिया	9.90	दांया	”	”	49	49	1861	428	01	100	131	232	–	9.20	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	49	–	–	–	49	49	–	–	–	–	–	–	–	”
5.	मा0 माल्दा	13.00	”	”	”	14	14	522	120	–	61	13	74	–	4.20	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	14	–	–	–	14	14	–	–	–	–	–	–	–	”
6.	रा0 विशुनपुर	2.25	”	”	”	60	60	1181	272	37	72	307	416	–	8.20	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	60	–	–	–	60	60	–	–	–	–	–	–	–	”
7.	मा0 भग्गौर	3.60	”	र0 विशुनपुर	”	07	07	280	64	08	02	–	10	–	2.16	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	07	07	–	–	–	07	07	–	–	–	–	–	–	–	”
8.	मा0 तिलकहना	6.50	बांया	”	”	21	21	799	184	–	–	01	01	–	6.0	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	21	–	–	–	21	21	–	–	–	–	–	–	–	”
9.	शा0 रजडेरवा	0.30	बांया	पचपेड़वा मु0न0	”	194	194	1162	267	41	68	190	299	–	9.2	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194	194	–	–	–	194	194	–	–	–	–	–	–	–	”
10.	मा0 सोनपुर	7.45	”	शा0 रजडेरवा	”	10	10	448	103	10	06	27	43	–	5.2	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	”
11.	रा0 विजयनगर	9.20	”	”	”	49	49	941	216	19	11	110	140	–	9.10	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	49	–	–	–	49	49	–	–	–	–	–	–	–	”
12.	मा0 रमवापुर	0.40	बांया	र0 गनवरिया	”	10	10	426	98	07	18	63	88	–	4.20	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	”
13.	रा0 गनवरिया	9.20	”	शा0 रजडेरवा	”	97	97	1136	261	13	06	254	273	–	12.0	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97	97	–	–	–	97	97	–	–	–	–	–	–	–	”
14.	मा0 नौबस्ता	5.80	दांया	र0गनवरिया	”	30	30	853	196	–	–	–	–	–	5.80	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	30	–	–	–	30	30	–	–	–	–	–	–	–	”
15.	मा0 जमुनी	1.50	”	मा0 नौबस्ता	”	06	06	282	64	–	–	–	–	–	2.61	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	06	06	–	–	–	06	06	–	–	–	–	–	–	–	”
16.	मा0 सिसवा	4.30	”	र0गनवरिया	”	18	18	680	158	–	–	–	–	–	4.60	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	18	–	–	–	18	18	–	–	–	–	–	–	–	”
17.	मा0 धवाई	3.30	बांया	र0 विजयनगर	”	06	06	280	65	–	–	–	–	–	3.80	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	06	06	–	–	–	06	06	–	–	–	–	–	–	–	”
18.	मा0 मनकौरा	7.25	”	”	”	17	17	647	149	–	–	–	–	–	5.30	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	17	–	–	–	17	17	–	–	–	–	–	–	–	”
19.	मा0 आदमतारा	7.80	”	र0 गनवरिया	”	08	08	350	81	–	–	–	–	–	5.54	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	08	08	–	–	–	08	08	–	–	–	–	–	–	–	”
20.	मु0न0 गैसड़ी	1.10	दांया	चि0जला0	”	143	143	2739	630	196	69	166	431	17.8	–	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143	143	–	–	–	143	143	–	–	–	–	–	–	–	”
21.	मा0 अमवा	0.22	बांया	गै0मु0न0	”	04	04	166	38	16	08	19	43	–	2.20	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	04	04	–	–	–	04	04	–	–	–	–	–	–	–	”
22.	मा0 डालपुर	1.86	”	”	”	24	24	900	207	45	81	29	155	–	7.10	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	24	–	–	–	24	24	–	–	–	–	–	–	–	”
23.	मा0 महुवा	5.72	”	”	”	11	11	434	100	108	33	52	193	–	3.50	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–	–	–	11	11	–	–	–	–	–	–	–	”
24.	मा0 लठावर	6.97	”	”	”	09	09	333	77	66	08	63	137	–	3.40	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	09	09	–	–	–	09	09	–	–	–	–	–	–	–	”
25.	मा0 मझौली	11.50	”	”	”	11	11	415	95	16	–	01	17	–	3.20	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–	–	–	11	11	–	–	–	–	–	–	–	”
26.	मा0 बखरकोटवा	12.15	”	”	”	11	11	420	97	15	–	–	15	–	5.61	”	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–	–	–	11	11	–	–	–	–	–	–	–	”

नोट :
1. उक्त जलाशयों में पानी बरसाती नालों से आता है।
2. नहरों का यह रोस्टर विगत 10 वर्षो में 75% जल उपलब्धता के आधार पर बनाये गये है।
3. मानसून की वर्षा न होने पर जलाशयों में जल उपलब्ध न होने पर यह रोस्टर लागू नहीं होगा ।
4. जलाशयों में जल उपलब्ध होने पर कृषकों के मॉग के अनुसार रोस्टर में परिवर्तन किया जा सकता है।
5. सप्ताह प्रारम्भ में अंकित 'वास्तविक निस्सरण' का आशय नहर के चलने से एवं '–' का आशय नहर के बन्द होने से है।

अनुमोदित	अनुमोदित	अनुमोदित	प्रस्तावित
ह/0	ह/0	ह/0	ह/0
जिला कृषि अधिकारी बलरामपुर	अधी0अभि0 रा0न0नि0म0-I, बलरामपुर	जिलाधिकारी, बलरामपुर	अधि0 अभि0 चि0बाँ0नि0ख0 बलरामपुर